न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/04/2022	2023/279	08.03.2023	27.05.2024

1. शिव दयाल मीना पुत्र स्व0 रामकरण मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम मूनपुर, तहसील राजगढ़, जिला अलवर

——अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ़, तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0
2. गोकुल पुत्र छंगाराम, निवासी ग्राम मूनपुर, तहसील राजगढ़, जिला अलवर(मृतक)।

2/1 नरसीराम मीणा पुत्र स्व0 श्री गोकुल,

2/2 प्रहलाद मीणा पुत्र स्व0 श्री गोकुल जाति मीणा निवासी ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

2/3 लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व0 श्री गोकुल पत्नी श्री भगवानसहाय जाति मीणा निवासी ग्राम भेडोली तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

2/4 बुगलीदेवी पुत्री स्व0 गोकुल पत्नी श्री जगदेव मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम नांगलबास रैणी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

2/5 राजन्तीदेवी पुत्री स्व0 गोकुल पत्नी श्री गिर्राज मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम नांगलबास रैणी तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

2/6 रेखा मीणा पुत्री स्व0 गोकुल पत्नी श्री रामप्रसाद मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम बूटियाना तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्टान

अपील राजस्व विरूद्ध आदेश दिनांक 02.03.2023 इंतकाल सं0 472 ख0नं0 770/544 रकबा 0.0208 गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम मूनपुर, तहसील राजगढ़, जिला अलवर न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार साहब राजगढ़।

उपस्थितः—

01. श्री राजवीर सिंह — वकील अपीलाण्ट
02. श्री ओमानन्द चौधरी — वकील रेस्पोडेन्ट
03. राजकीय अभिभाषक — वकील रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ़ नामांतकरण संख्या 472 निर्णय दिनांक 02.03.2023 ख0नं0 770/544 रकबा 0.0208 गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम मूनपुर, तहसीलदार राजगढ़ से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि प्रार्थी शिवदयाल व उसके भाई गिर्राज मीना की आराजी ख.नं. 544 रकबा 17 ऐयर जो कि वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ, जिला अलवर में स्थित है जिस जायदाद में प्रार्थी के मकान बने हुए है। प्रार्थी व उसका भाई अपने परिवार सहित रिहायश रखते है। प्रार्थी का पडौसी अप्रार्थी रेस्पोडेंट नं. 2 गोकुल मीना है जो प्रार्थी से रंजिश रखता है जिसने रंजिशवश एक प्रार्थना पत्र धारा 251ए आर.टी. एक्ट के तहत उपखंड अधिकारी राजगढ के यहां पेश किया था। जिस पर न्यायालय ने गलत व बेजा आधार पर दिनांक 31.01.2023 को प्रार्थी के भाई के विरूद्ध उक्त आराजी ख.नं. 544 रकबा 17 ऐयर के दक्षिण डोल के पास से रास्ता देने का आदेश पारित कर दिया। जिसके पश्चात प्रार्थी व उसके भाई में आपस में झगडा फसाद हो गया जिस वजह से प्रार्थी ने एक सिविल दावा स्थायी निषेधाज्ञा बअनुवान प्रकरण शिवदयाल बनाम राजेश मीना का सिविल न्यायाधीश साहब राजगढ के यहां प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 13.02.2023 को उक्त विवादित जायदाद ख.नं. 544 रकबा 17 ऐयर वाके ग्राम मूनपुर की उभय पक्षकारान के लिये मौका स्थिति को यथावत रखने का आदेश पारित किया। जो आदेश आज दिन तक भी प्रभावी है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.03.2023 की नियत है। जिसके पश्चात प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की प्रतिलिपि मय प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब को दी गई लेकिन उसके बावजूद भी श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा उक्त ख.नं. 544 रकबा 17 ऐयर वाके ग्राम मूनपुर में से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करके रास्ता कायम करके नया नंबर 770/544 रकबा 0.0208 गै0मु0 रास्ता कायम कर दिया और जिसका नामांतकरण सं. 472 दिनांक 02.03.2023 को दर्ज कर दिया। जबकि श्रीमान तहसीलदार साहब को ऐसा करने का कतई रूप से कोई अधिकार नहीं था।

उक्त आदेश दिनांक 0203.2023 का है जिससे मौजूदा अपील पेश की जा रही है। जो अंदर अवधि है। पक्षकारान सीमा न्यायालय के निवासी है इसलिये मौजूदा अपील माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य है। मौजूदा अपील में आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। प्रार्थी व उसके भाई शिवदयाल व गिर्राज मीना पुत्रान स्व. रामकरण मीना की एक आराजी ख.नं. 544 रकबा 17 ऐयर वाके ग्राम मूनपुर में स्थित है। जिसके ये दोनों भाई रजिस्टर्ड मालिक है और इनका पूर्ण रूप से कब्जा है। उक्त विवादित जायदाद में चारो तरफ बाउण्ड्री मौके पर की हुई है। लोहे का गेट लगा हुआ है एवं दोनों भाईयों ने रिहायश हेतु बनाये हुए है एवं मौके पर दोनो भाई व उनके परिवार मौके पर रह रहे है। जिस उक्त विवादित जायदाद में विद्युत का कनेक्शन लग रहा है जो मौके पर संचालित है। अपीलांट के पडौस में ही गोकुल नामक व्यक्ति रहता है जो अपीलाट से बराय रंजिश रखता है जिसने बराय रंजिश न्यायालय उपखंड अधिकारी राजगढ के यहां एक प्रार्थना पत्र धारा 251ए, आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

जिससे उपखंड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 31.01.2023 को कर दिया गया। जिस आदेश के पश्चात अपीलांट दोनों भाईयों में कहासुनी हो गई. लडाई झगडा हो गया। जिस पर अपीलांट शिवदयाल द्वारा उक्त विवादित आराजी की बाबत एक मुकदमा बअनुवान प्रकरण शिवदयाल बनाम राजेश मीना वगै० सिविल न्यायाधीश साहब राजगढ के यहां दायर किया, जिस वाद में माननीय न्यायालय राजगढ द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा पर सुनकर दिनांक 13.02.2023 को उक्त विवादित जायदाद के मौके की यथास्थिति रखने का आदेश पारित किया गया। जो आदेश आज दिन तक भी प्रभावी है। जिस प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 16.03.2023 की नियत है।

अपीलांट द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश साहब राजगढ के आदेश दिनांक 13.02.2023 की प्रमाणित प्रति मय दरख्वास्त श्रीमान तहसीलदार साहब रेस्पोडेंट को दी गई लेकिन श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा उक्त आदेश को नजरअंदाज करते हुए दिनांक 02.03.2023 को ख.नं. 544 रकबा 17 ऐयर मे से राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कर दिया और जिसका नामांतकरण सं. 472 दर्ज कर दिया। जिसका कि श्रीमान तहसीलदार साहब को करने का अधिकार किसी भी रूप से नहीं था चूंकि सिविल न्यायाधीश साहब का आदेश दिनांक 13.02.2023 श्रीमान के समक्ष मौजूद था। प्रार्थी अपीलांट द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब के सक्ष यह भी प्रार्थना की गई कि अपीलांट ने उपखंड अधिकारी राजगढ के आदेश दिनांक 31.01.2023 के विरूद्ध श्रीमान राजस्थ अपील प्राधिकारी के यहां अपील भी दायर की हुई है। चूंकि राजस्थान में सभी अधिवक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हडताल की हुई है। इस वजह से आप सिविल न्यायाधीश साहब राजगढ के आदेश से पाबंद है और उसके बावजूद भी श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा गै०म० रास्ते का नामांतकरण सं. 472 गलत व बेजा रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। ख.नं. 544 रकबा 17 ऐयर में अपीलांट के मकानात बने हुए है। विवादित जायदाद की चारो तरफ की बाउण्ड्री की हुई है मौके पर लोहे का गेट लगा हुआ है अगर उक्त विवादित जायदाद में रास्ता निकलता है तो अपीलांट का रिहायश का सारा मकान टूट जायेगा और अपीलांट को अपार हानि होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप से नहीं हो सकेगी। इसलिये भी उपरोक्त आदेश दिनांक 02.03.2023 इंतकाल सं. 472 हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट एक 65 वर्षिय वृद्व व्यक्ति है जो अक्सर बीमार रहता है। जो अनपढ़ व्यक्ति है। जिसके पीछे से श्रीमान् तहसीलदार साहब द्वारा उक्त विवादित जायदाद में से गैर0मु0 रास्ता कायम किया गया है। जो हर तरीके से गलत है। प्रार्थी शिवदयाल द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब के यहां से इंतकाल सं. 472 ख.नं. 770/544 रकबा 0.0208 गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ, जिला अलवर की नकल मांगी गई और कहा गया कि मैं इस आदेश की अपील करूंगा तब श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा यह कहा गया कि रास्ते से सबंधित विवादित का हमने इंतकाल तो चढा दिया है लेकिन अभी इंटरनेट की साइट नही चल रही है इस वजह से हम आपको इतकाल की नकल नहीं दे सकते।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर उक्त आदेश दिनांक 02.03.2023 इंतकाल सं. 472 ख.नं. 770 / 544 रकबा 0.0208 है0मु0 रास्ता वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ, जिला अलवर निरस्त किये जाने की कृपा करे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे ही बहस करना चाहता है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। अपील में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के आदेश एवं डिक्री की पालना में तहसीलदार राजगढ द्वारा जारी किया गया है। नामान्तकरण जारी करने में विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है। पक्षकार न्यायालय आदेश के क्रम में सक्षम न्यायालय में चाराजोरी कर सकता है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2023 विधिवत है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)